राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4685/2022

राजेन्द्र कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. अति. पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
4. ए.डी.जे. भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट परीक्षा में पुलिस उप निरीक्षक की वरियता सूची में दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में प्रथम नम्बर पर था। वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) पद की पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने के लिये अपीलार्थी पात्र था। इस सम्बन्ध में स्टेट क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो राजस्थान पुलिस द्वारा पत्र दिनांक 20.05.2022 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) को लिखा गया, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 में पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र माना है, परन्तु अपीलार्थी को पदोन्नति इस आधार पर नहीं दी गयी कि अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31.08.2022 को प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाएगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप कथन है कि अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु दी जाने वाली योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की छुट प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि अपीलार्थी पीसीसी शुरू होने के 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाला था। पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर द्वारा स्थायी आदेश दिनांक 17.08.2021 में पदोन्नति हेतु चयनित होने वाले ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी सेवानिवृति पीसीसी के शुरू होने की स्थिति से 6 माह के अन्दर होने वाली हो, उन्हें पीसीसी से पूर्ण छुट प्रदान की जाकर पदोन्नति प्रदान करने का प्रावधान रखा है। ऐसे में अपीलार्थी को बिना योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित किये ही पुलिस

निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर वर्ष 2022–23 में पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए थी, जो अपीलार्थी को प्रदान नहीं की गयी।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2022–23 में उप निरीक्षक (तकनीकी) से पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्व के वर्ष 2021–22 की पदोन्नति प्रक्रिया के प्रक्रियाधीन होने के चलते नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने से पूर्व ही वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, जो असामयिक होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। स्पष्ट रूप से स्टेट क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से लिखे गये पत्र दिनांक 20.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2022–23 हेतु पुलिस निरीक्षकी (तकनीकी) पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये अपीलार्थी पात्र था और उसके लिये यह भी अंकित किया गया है कि वह अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31.08.2022 को पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होगें। इस प्रकार अपीलार्थी चूंकि वर्ष 2022–23 की पदोन्नति के लिये पात्रता रखता है और महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.08.2021 से अपीलार्थी पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ऐसे में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी को बिना योग्यात्मक परीक्षा की प्रक्रिया अपनाये पदोन्नति दी जा सकती थी।

4. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को बिना योग्यात्मक परीक्षा के पुलिस निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा जाए और अपीलार्थी नियमानुसार पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। इस आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)